पेंशन संशोधन पर ऐतिहासिक फैसला।

**(** टेलीक्रूसेडर **-** अक्टूबर**, 2023 )**

CAT, नई दिल्ली की माननीय प्रिंसिपल बेंच ने 20-09-2023 को आदेश दिया कि बीएसएनएल और एमटीएनएल पेन्शनर्स को केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन संशोधन दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, बीएसएनएल पेंशनभोगियों के साथ किया गया अन्याय अदालत द्वारा दूर कर दिया गया है। बीएसएनएल पेन्शनर्स को अंतिम पेंशन संशोधन दिनांक 11.01.2017 को 01-01-2007 से द्वितीय पीआरसी की सिफारिशों के आधार पर दिया गया था। इसलिए, पेंशन संशोधन एक बार फिर से दिनांक 01.01.2017 से देय हो गया है। हालाँकि, डीओटी और सरकार ने एक अनुचित रुख अपनाया कि, बीएसएनएल पेन्शनर्स को पेंशन संशोधन तभी मिलेगा, जब सेवारत कर्मचारियों को उनका वेतन संशोधन मिलेगा। इस प्रकार, पेंशन संशोधन को वेतन संशोधन के साथ जोड़ दिया गया।

पेंशन संशोधन पर एयूएबी का संघर्ष **:**

बीएसएनएल की सभी यूनियनों और एसोसिएशनों (एयूएबी) ने कई हड़तालें और अन्य संघर्ष आयोजित किए और वेतन पुनरीक्षण की मांग करते हुए पेंशन पुनरीक्षण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया।एयूएबी ने पेंशन को ध्यान में रखते हुए जानबूझकर पेंशन संशोधन की मांग उठाई जो कर्मचारियों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति के बाद केवल एकमात्र सामाजिक सुरक्षा है।

एयूएबी ने हड़तालें, संचार भवन तक मार्च, भूख हड़ताल, धरने, वर्क टु रूल, सत्याग्रह और कई अन्य आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए। इन सभी संघर्षों में पेंशन पुनरीक्षण प्रमुख मांगों में से एक है। इनमें 27-07-2017 को आयोजित एक दिवसीय हड़ताल, 12-12-2017 और 13-12-2017 को आयोजित दो दिवसीय हड़ताल, 03-12-2018 से आहूत अनिश्चितकालीन हड़ताल (मंत्री से वार्ता के बाद स्थगित) शामिल हैं ) और 18-02-2019, 19-02-2019 और 20-02-2019 को 3 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया। इस प्रकार, यह एक निर्विवाद तथ्य है कि, एयूएबी ने पेंशन संशोधन को निपटाने के लिए उच्चतम प्रकार के संघर्षों का आयोजन किया। हालाँकि, डीओटी और सरकार पेंशन संशोधन को न निपटाने पर अड़े हुए थे।

यह रिकॉर्ड करना बहुत महत्वपूर्ण है कि एयूएबी और तत्कालीन संचार राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा के बीच 03-12-2018 को बातचीत हुई थी। उस बैठक में तत्कालीन दूरसंचार सचिव, सुश्री अरुणा सुंदरराजन और तत्कालीन सीएमडी बीएसएनएल, श्री अनुपम श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। श्री मनोज सिन्हा ने उस बैठक में खुले तौर पर घोषणा की कि, सरकार ने पेंशन संशोधन को वेतन संशोधन से अलग करने का निर्णय लिया है। निस्संदेह, श्री मनोज सिन्हा द्वारा यह घोषणा एयूएबी द्वारा 03-12-2018 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए चलाए गए देशव्यापी शक्तिशाली अभियान की पृष्ठभूमि में ही की गई थी। हालाँकि, डीओटी के नौकरशाहों ने नकारात्मक भूमिका निभाई और तत्कालीन माननीय संचार राज्य मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को विफल कर दिया।

इन परिस्थितियों में, 12 -13 अक्टूबर, 2019 को गाजियाबाद में आयोजित BSNLEU की केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की गई और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि, पेंशन संशोधन मुद्दे को केवल अदालत के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है। सीईसी सदस्यों ने इस निर्णय का भारी समर्थन किया। दरअसल, उस बैठक में ही वरिष्ठ नेता साथी जे.संपत राव, सहायक महासचिव ने कोर्ट केस दायर करने के लिए 50,000 रुपये का दान देने की घोषणा की थी। हालाँकि, किसी तरह, गाजियाबाद सीईसी बैठक के निर्णय के अनुसार अदालत में मामला दायर नहीं किया जा सका। इस बीच, कुछ पेन्शनर्स एसोसिएशनों और व्यक्तिगत पेन्शनरों ने बीएसएनएल और एमटीएनएल में शामिल डीओटी / डीटीओ / डीटीएस कर्मचारियों के लिए पेंशन संशोधन की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनकी याचिकाओं पर कैट की माननीय प्रिन्सिपल बेंच ने सुनवाई की। फैसला 24-08- 2023 को सुरक्षित रखा गया था और 20-09-2023 को सुनाया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि, अदालत ने माना है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल में शामिल कर्मचारियों को सभी उद्देश्यों के लिए सरकारी कर्मचारी माना जाना चाहिए। इसके अलावा, अदालत ने आदेश दिया है कि, वेतन आयोग की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार के पेंशनभोगी के लिए संशोधित लाभ, बीएसएनएल और एमटीएनएल कर्मचारियों को केंद्र सरकार के पेन्शनर्स के पेंशन संशोधन के बराबर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस आदेश को लागू करने के लिए सरकार को 10 हफ्ते का समय दिया है।

सरकार इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालतों में अपील कर सकती है। इसलिए, इस फैसले के कार्यान्वयन में कुछ और समय की देरी हो सकती है। हालाँकि, हमारी सुविचारित राय में, इस फैसले को उच्च न्यायालयों द्वारा भी बरकरार रखे जाने की संभावना है। BSNLEU उन सभी पेन्शनर्स एसोसिएशनों की दिल से सराहना करता है जिन्होंने इस ऐतिहासिक फैसले को लाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी है। वहीं, 01-01-2017 के बाद रिटायर हुए पेंशनभोगियों की भी गंभीर शिकायत है कि, इस फैसले से उन्हें राहत नहीं मिलेगी। इस पहलू पर ध्यान देना होगा और उचित समाधान निकालना होगा। यह अति आवश्यक है कि 2017 के बाद के सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन संशोधन लागू करने के लिए उन्हें संशोधित वेतनमान में रखा जाना चाहिए। ऐसे संशोधित वेतनमान तब तक नहीं आ सकते जब तक नोन एक्जीक्यूटिव्स के लिए वेतन संशोधन लागू नहीं किया जाता। बीएसएनएल में सेवारत कर्मचारियों की यूनियनों और एसोसिएशनों को इस बात को ध्यान में रखना होगा और अपनी रणनीति विकसित करनी होगी।

******